अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड तथा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

4.1 कृषि वस्तुओं की व्यापारिक गतिविधियाँ

4.1.1 प्रस्तावना

एमएमटीसी लिमिटेड (एमएमटीसी) दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) तथा पीईसी लिमिटेड (पीईसी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत व्यापारिक कम्पनियाँ हैं। सभी तीनों कम्पनियाँ एक निर्धारित व्यापारिक लाभांश के लिए अपने कारोबार सहयोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आयात निर्यात तथा घरेलू व्यापार करती हैं।

लेखापरीक्षा ने एमएमटीसी, एसटीसी तथा पीईसी के संचालनों में विशिष्ट विफलताओं जिनके कारण हानि हुई, के कारणों को चिन्हित करने के लिए, तथा कृषि वस्तुओं की व्यापारिक गतिविधियों जहां मार्च 2013 को देय राशियाँ वसूली योग्य थीं, बट्टे खाते मे डाल दी गई थी, की समीक्षा की।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.2.1 निजी सहयोगियों द्वारा कृषि वस्तुओ का अनाधिकृत उठान

पालन किये जा रहे व्यवसाय मॉडल के अनुसार, व्यापारिक कम्पनियाँ सहयोगियों का उनके द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों के प्रति पूर्व नौभार क्रेडिट* देती है अथवा सहयोगियों की

** पोतान्तरण पूर्व निधियन एक सहयोगी को एक निर्यात आदेश पूरा करने में सहायता करने के लिए माल के नौभार (सामान्य तौर पर एक स्थाई आदेश के प्रति) से पूर्व उपलब्ध कराया जाता है (साख पत्र (एससी) पर अथवा भुगतान पर देय प्रलेख (डीपी) भुगतान शर्तों पर एलसी आधार में, क्रेता व्यापारिक पीएसयू के पक्ष के एलसी स्थापित करता है। डीपी भुगतान शर्तों के मामले मे, क्रेता निर्धारित प्रतिशत (10-20 प्रतिशत) अग्रिम भुगतानके रूप में व्यापारिक पीएसयू को प्रेषित करता है। सहयोगी घरेलू खरीद प्रक्रिया प्रांरभ करता हैं तथा पोतान्तरण पूर्व निधीयन जारी करने के लिए व्यापारिक पीएसयू से संपर्क करता है। सहयोगी निर्यात हेतु प्रस्तावित वस्तु की मात्रा तथा गुणवत्ता के पोतान्तरण पूर्व निरीक्षण की सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हैं। सर्वेक्षक रिपोर्ट के आधार पर तथा कार्गो हैण्डलिग एजेन्ट (सीएचए) जो 100 प्रतिशत खेप के लिए व्यापारिक पीएसयू के पक्ष में 'न्यास विलेख' जारी करता है के संरक्षण में खरीदी गई खेप के नौभार वालेपत्तन तक पहुँचने के पश्चात ही, व्यापारिक पीएसयू सहयोगी को धन जारी*

ओर से वस्तुओं के आयात के मामले में आयात देयता की मुक्ति के लिए क्रेता क्रेडिट का प्रबंध करती है तथा बाद में राशि वसूल करती है। दोनों ही परिदृश्यों में माल, भुगतान की प्राप्ति होने तक, व्यापारिक कम्पनी के पास गिरवी रहता है सहयोगी विदेशी क्रेता/विक्रेता का प्रबंध करने तथा भुगतान सुनिश्चित करने के भी जिम्मेदार है। निम्नलिखित मामलों मे यह देखा गया कि पीएसयूज ने बकाया देय राशियों के बावजूद सहयोगियों के साथ व्यापार जारी रखा यह भी देखा गया कि पीएसयूज उन्हें गिरवी रखी गई परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने में भी विफल रही इसके परिणामस्वरूप पीएसयूज को भारी हानि वहन करनी पड़ी।

4.1.2.2 मक्का, चीनी तथा अन्य कृषि संबंधी वस्तुओं का निर्यात

एसटीसी ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान मै. महक फीडस इण्डस्ट्री [अब महक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एमओपीएल)] द्वारा कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात के लिए पूर्व नौभार क्रेडिट दिया था तथापि, विदेशी क्रेताओं द्वारा पीछे हट जाने, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मे गिरावट के कारण खेप स्वीकार न करने, गंतव्य पत्तन पर डेमरेज प्रभारों इत्यादि के कारण एसटीसी/एमओपीएल देय राशियाँ वसूल नही कर सका। परिणामस्वरूप एमओपीएल के विरूद्ध अक्टूबर 2010 तक ₹ 44.59 करोड़ की राशि बकाया थी। तत्पश्चात, एसटीसी ने पुन: एमओपीएल को मक्के के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की परन्तु इस व्यापार में भी, एसटीसी एमओपीएल से ₹ 22.03 करोड़ की देय राशियाँ वसूल नही कर सका। एमओपीएल द्वारा निर्यात के लिए खरीदे गए तथा काकीनाडा, कोलकाता, नासिक तथा नवी मुम्बई मे गोदामों में रखे गए भारतीय पीले मक्के के भण्डारों के मार्च/अप्रैल 2013 में एसटीसी द्वारा किये गए प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि गोदामों मे कोई भण्डार उपलब्ध नही था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि एमओपीएल एक अनवरत चूककर्त्ता था फिर भी एसटीसी ने अक्टूबर 2010 के बाद भी पूर्व-नौभार क्रेडिट दिया परिणामस्वरूप, एमओपीएल से वसूली योग्य में ₹ 22.03 करोड़ जुड गए यद्यपि एसटीसी एमओपीएल द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसीज) को भुनाने का हकदार था, फिर भी

करता है। सहयोगी खरीदी गई खेप का लदान करता हैं तथा एलसी के मामले में बैंक के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए दस्तावेज व्यापारिक पीएसयू को प्रस्तुत करता है तथा डीपी भुगतान की शर्तों के मामले में दस्तावेज व्यापारिक पीएसयू के बैंक के माध्यम से संग्रह हेतु विदेशी क्रेताओं को भेजे जाते हैं। व्यापारिक पीएसयू के खाते में विदेशी क्रेताओं से भुगतान की प्राप्ति होने पर, व्यापारिक पीएसयू अपना व्यापारिक मार्जिन, सहयोगी को दिए गए अग्रिम, बैंक प्रभार तथा अनुप्रयोज्य ब्याज इत्यादि को समायोजित करने के पश्चात शेष राशि सहयोगी को जारी करता है।

एसटीसी चूक की तिथि को उपलब्ध पीडीसीज को भुनाने में विफल हुआ। तत्पश्चात, फरवरी 2013 में पेश किये जाने पर पीडीसी अस्वीकृत कर दिये गए। परिणामस्वरूप, एसटीसी एमओपीएल से ₹ 91.51 करोड़ (₹ 15.65 करोड के ब्याज तथा एसबीआई द्वारा प्रभारित ₹ 9.24 करोड़ विलम्बित कमीशन सहित) की बकाया राशियों की वसूली नही कर सका (मार्च 2014)। सहयोगी फरार था (जुलाई 2012 से)।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2013) तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि शाखा द्वारा देय राशियों की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी तथा ₹ 91.51 करोड़ के लिए 2013-14 के दौरान लेखाओं में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया था।

4.1.2.3 कैनेडियन पीली मटर का आयात (सीवाईपी)

एसटीसी ने एक करार किया (जून 2010) तथा मै. प्राईम इम्पैक्स लिमिटेड (पीआईएल) की तरफ से 27500 एमटी सीवाईपी का आयात किया जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के विभिन्न शेडों में भण्डारित की गई थी। एसटीसी ने क्रेता क्रेडिट का प्रबन्ध किया तथा विदेशी आपूर्तिकर्त्ता को ₹ 36.75 करोड़ का भुगतान किया। चूँकि पीआईएल ने भुगतान नहीं किया, इसलिए एसटीसी ने जोखिम एवं लागत खंड का उपयोग करने का निर्णय लिया तथा 17 जनवरी 2011 को पीआईएल के प्रतिनिधियों, सीएचए तथा सर्वेक्षक की उपस्थिति में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया तथा पूरा स्टॉक विभिन्न शेडों मे उपलब्ध पाया गया था। एसटीसी ने निविदा आंमत्रित की और 2500 एमटी बोलीदाताओं को आंबटित किया परन्तु कार्गो हैण्डलिंग एजेन्ट (सीएचए) ने सुपुर्दगी नहीं की थी। 3 मार्च 2011 को एसटीसी को पता चला कि सहायक द्वारा सीएचए तथा सर्वेक्षक की मिली भगत से स्टॉक उठा लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि करार के अनुसार पीआईएल द्वारा अन्तिम भुगतान किये जाने तक माल एसटीसी के पास रेहन तथा गिरवी रहना था। इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध का खंड 5 निर्धारित करता है कि सीएचए एसटीसी द्वारा नियुक्त किया जाना था। तथापि, करार के विपरीत, सीएचए पीआईएल द्वारा नियुक्त किया गया; परिणामस्वरूप, पीआईएल ने सीएचए की मिलीभगत से अनाधिकृत रूप से स्टॉक उठा लिया। इसके अतिरिक्त, एसटीसी ने न तो दी गई पूँजी की राशि के प्रति कोई प्रतिभूति प्राप्त की एवं न ही गिरवी रखे गए स्टॉक को अच्छी तरह से सुरक्षित रखने हेतु कोई कदम उठाया। ₹ 36.01 करोड़ की बकाया देय राशि के प्रति (मार्च 2011), एसटीसी प्रतिभूति जमा/उपलब्ध क्रेडिट शेष के नकदीकरण द्वारा केवल ₹ 2.34 करोड़ की वसूली कर सका

तथा सहायक से वसूली योग्य शेष ₹ 33.67 करोड़ था, जो एसटीसी द्वारा बट्टे खाते मे डाल दिया गया (मई 2012)।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2014) तथा बताया कि स्टॉक के अनाधिकृत उठान के लिए सहयोगी, सीएचए, सर्वेक्षक तथा अन्यों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसने मध्यस्थता तथा विधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की है तथा भविष्य में ऐसे स्थितियों से बचने के लिए कार्यप्रणाली के संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

4.1.2.4 राईस ब्रान का निर्यात

एसटीसी ने अक्टूबर 2007 से फरवरी 2008 तक डिऑयल्ड राईस ब्रान की 12000 एमटी की सकल मात्रा के निर्यात हेतु पूँजी लगाने के लिए मै. सरफ इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) के साथ 25.09.2007, 21.11.2007 तथा 5.12.2007 को तीन करार किये। खरीदी गई कुल मात्रा के प्रति, एसआईपीएल ने 5970 एमटी का निर्यात किया तथा 6430 एमटी की शेष मात्रा का निर्यात करने में चूक कर दी (मार्च 2010)। ₹ 3.05 करोड़ मूल्य की शेष मात्रा एसटीसी द्वारा एक निजी मालगोदाम में भण्डारित की गई थी। एसटीसी ने स्टॉक एवं इसकी गुणवत्ता के मूल्यांकन का कार्य एक सर्वेक्षक को सौंपा, जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट (दिसम्बर 2010) से पता चला कि स्टॉक पहले बताई गई 6430 एमटी के प्रति केवल 985.8 एमटी की सीमा तक उपलब्ध था, 544.20 एमटी का अन्तर स्टॉक एसआईपीएल द्वारा एसटीसी की जानकारी के बिना उठा लिया गया था। इसके अतिरिक्त, एसआईपीएल द्वारा दिये गए उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसीज) अस्वीकृत कर दिये गए जिसके लिए एसटीसी द्वारा एक विधिक मामला दर्ज कराया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसटीसी ने न तो दी गई पूँजी के प्रति कोई प्रतिभूति प्राप्त की एवं न ही यह गिरवी रखे गए स्टाक को सुरक्षित रखने में समर्थ था। एसटीसी ने एसआईपीएल से वसूली योग्य राशि के प्रति लेखाओं में ₹ 3.49 करोड़ का प्रावधान किया (जून 2013)।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि इसने एसआईपीएल के विरूद्ध एक विधिक मामला दर्ज कराया था तथा न्यायालय के आदेश के आधार पर ₹ 78 लाख की राशि वसूल की गई थी (फरवरी 2014) परन्तु उसके पश्चात पार्टी ने भुगतान करना बन्द कर दिया। इसने आगे बताया कि कम्पनी ₹ 2.71 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए एसआईपीएल के विरूद्ध मध्यस्थता मामला दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही थी।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि प्रबन्धन अपने वित्तीय हित की रक्षा करने में विफल हुआ था तथा चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी ₹ 2.71 करोड़ की शेष राशि वसूल नही कर सका था और जिसकी वसूली अब संदिग्ध हो गई है।

4.1.2.5 पीईसी लिमिटेड में सीवाईपी का आयात

पीईसी ने 8 सितम्बर 2008 से 3 सितम्बर 2010 के बीच मैसर्स प्राईम इम्पैक्स लिमिटेड (पीआईएल) के साथ 102500 एमटी सीवाईपी के आयात के लिए पॉच करार किये तथा सितम्बर 2008 से सितम्बर 2010 के दौरान साख पत्र खोले। करारों के अनुसार, माल, सहायक के जोखिम एवं लागत पर पीईसी को गिरवी रखा जाना था तथा केवल पीईसी की अनुज्ञप्ति/लिखित निर्देशों पर ही जारी किया जाना था। पीईसी द्वारा एक स्वतंत्र सर्वेक्षक भी नियुक्त किया जाना था जिसे प्रत्येक निकासी के समय उपस्थित रहना था। 102100 एमटी की कुल आयातित मात्रा के प्रति, दिनांक 21 फरवरी 2011 की सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार, पीआईएल ने केवल 34395 एमटी उठाया था। क्योंकि पीईसी ने फरवरी 2011 के अन्तिम सप्ताह मे कमियाँ देखी थी, इसलिए 4 मार्च 2011 को भौतिक सत्यापन कराया गया था जिससे पता चला कि 7975.314 एमटी शेष छोड़ते हुए लगभग समस्त स्टॉक पीआईएल द्वारा अनाधिकृत रूप से हटा दिया गया था। सीएचए ने स्वीकार किया कि उन्होंने पीआईएल द्वारा इस मौखिक आश्वासन/पुष्टि पर ही शेष मात्रा की निकासी कर दी थी कि उन्होने पीईसी से गिरवी समाप्त होने का आदेश प्राप्त कर लिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सहायक को मियाद[1] अवधि समाप्त होने से पहले सामग्री उठाना आवश्यक था, जिसमें विफल होने पर पीईसी को सहायक के जोखिम एवं लागत पर माल को बेचने की स्वंतत्रता थी। तथापि, पीआईएल द्वारा स्टॉक को उठाने मे विलम्ब किया गया था, फिर भी पीईसी उक्त खंड की सहायता लेने में विफल हुआ। पीईसी गिरवी रखे गए स्टॉक का दैंनदिन पर्यवेक्षण तथा निगरानी सुनिश्चित करने में भी विफल हुआ था तथा पीआईएल ने सीएचए तथा सर्वेक्षक के साथ मिली भगत से सीवाईपी का 59729.686 एमटी का स्टॉक उठा लिया था। ₹ 121.33[2] करोड़ (अतिदेय ब्याज सहित) (नवम्बर 2013) की परिणामी वसूली संदग्धि हो गई। इसके अतिरिक्त, दर्ज किया गया दावा भी बीमा कम्पनी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि खेप पार्टी द्वारा अनाधिकृत रूप से हटाई गई थी।

---

[1] अवधि जिसके लिए क्रेता क्रेडिट का प्रबन्ध किया जाता है, सामान्यतः 120 दिन।

[2] खातों में केवल ₹81 .करोड़ बुक किये गए हैं। 73

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मार्च2014) कि सभी महत्त्पूर्ण फाइलें जब्त कर ली गई थी तथा छान-बीन के पश्चात सीबीआई-ईओडब्ल्यू कोलकाता ने कोलकाता के सीबीआई न्यायालय में आरोप-पत्र दर्ज किया था। पीईसी ने ₹ 81.73 करोड़ की हानि को भी बट्टे खाते में डाल दिया।

4.1.3 स्वीकृत व्यापार पद्धतियों के विपरीत प्रतिभूति का स्वीकरण

4.1.3.1 पीडीसीज के आधार पर सामग्री का उठान स्वीकार करना

पीईसी ने हाई सी सेल्स[1] आधार पर (सितम्बर 2006 से जनवरी 2007 के बीच करार किया गया) मै. श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एसएलटीसी) को 118519 एमटी आयातित गेहूँ बेचा जो पीईसी के पक्ष में गिरवी रखा गया था। एसोसिएटशिप अनुबंध के खंड 16 के अनुसार सहायक को गिरवी रखा गया स्टॉक मॉल की लागत, पीईसी के सेवा प्रभारों तथा अन्य खर्चों के 100 प्रतिशत भुगतान के प्रति जारी किया जाना था। तथापि, गेहूँ का उठान बहुत धीमा था तथा 67343.801 एमटी स्टॉक पीईसी के पास पड़ा था (21 जनवरी 2010)। लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त खंड के विपरीत, पीईसी ने एसएलटीसी द्वारा अनुरोध के एक ही दिन मे (30 मार्च 2010) ₹ 51.00 करोड़ के पीडीसीज के प्रति ₹ 61.63 करोड़ मूल्य के शेष स्टॉक को उठाने की अनुमति दे दी (31 मार्च 2010)। पीईसी ने 31 मार्च 2010 को सुपुर्दगी आदेश जारी किये जिसके प्रति एसएलटीसी ने समस्त सामग्री की सुपुर्दगी ले ली। यद्यपि सहायक द्वारा जारी किये गए दिनांक 30 मार्च 2010 को चार अन्य चेक प्रत्येक 2 करोड़ के उपलब्ध थे परन्तु पीईसी 31 मार्च 2010 को सुपुर्दगी आदेश जारी करने से पहले इन्हें पेश नही कर सकी तथा बाद में 20 अप्रैल 2010 से 28 सितम्बर 2010 के बीच पेश किये जानेपर चारों चेक अस्वीकार कर दिये गए। ₹ 51 करोड़ के पीडीसीज भी जून 2011 में पेश किये जाने पर बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिये गए थे क्योंकि पार्टी का बैंक खाता 1 नवम्बर 2010 को बन्द हो गया था। अतः सुपुर्दगी आदेश जारी करने से पहले लागत की वसूली सुनिश्चित करनेमे विफलता के कारण ऐसी स्थिति हुई जहाँ ₹ 58.35 करोड़ की वसूली संदिग्ध हो गई (मार्च 2014)।

प्रबंधन ने उत्तर (मार्च 2014) दिया कि इसने एसएलटीसी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ की थी तथा मध्यस्थता खंड के उपयोग हेतु भारतीय मध्यस्थता परिषद को भी मामला प्रस्तुत किया है।

---

[1] हाईसी सेल (एचएसएस) संवाहक प्रलेख प्रेषिति द्वारा दूसरे क्रेता को की गई बिक्री है जब माल अभी समुद्र में ही है अथवा इसके उदगम पत्तन से प्रेषण के पश्चात तथा गतंव्य पत्तन तक पहुँचने से पहले।

4.1.3.2 ब्याज एवं सेवा प्रभारों की वसूली ना होना

पीईसी ने ₹ 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ धान की खरीद के लिए मै. पीबीआर इम्पैक्स के साथ एक करार किया (17 नवम्बर 2009)। सहायक को दी गई धनराशि तथा लागू सेवा प्रभारों पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना था। वित्तीय सीमा ₹ 70 करोड़ तक बढ़ाई (दिसम्बर 2009) गई थी। पीईसी ने 32761.65 एमटी धान की खरीद के प्रति मै. पीबीआर को ₹ 72.70 करोड़ (नवम्बर 2009 से फरवरी 2010) की वित्तीय सहायता दी थी। यद्यपि दिसम्बर 2010 तक समस्त भण्डार उठा लिया जाना था तथापि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पार्टी ने मार्च 2014 तक 32523.40 एमटी उठाया था। अनुबंध के अनुसार पार्टी को दी गई धनराशि पर ब्याज एवं सेवा प्रभारों की वसूली करने के बजाए, पीईसी ने मूलधन की राशि की वसूली के पश्चात ही इन पर दावा करने का निर्णय किया। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 तक मै. पीबीआर से ₹ 13.13 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जिसके प्रति पीईसी के पास केवल ₹ 0.64 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि कम्पनी के पास ब्याज लागत के प्रति बकाया राशि से अधिक के पीडीसीज तथा ₹ 0.64 करोड़ मूल्य का उठाया ना गया स्टॉक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेष वसूली योग्य राशि की प्रतिभूति के प्रति उपलब्ध पीडीसीज बाद में अगस्त/सितम्बर 2014 में अस्वीकार दिये गए थे जिनके लिए पीईसी ने विधिक कार्यवाही प्रारंभ की है। चूंकि कम्पनी के पास कोई प्रतिभूति उपलब्ध नही है, इसलिए ₹ 12.49 करोड़ की देय राशियों (मार्च 2014) की वसूली की संभावना सदिग्ध हो गई है।

4.1.3.3 एसटीसी में चीनी का निर्यात

एसटीसी ने विभिन्न् देशों को चीनी के निर्यात के लिए मै. पीकेएस लिमिटेड कोलकाता के साथ बेक-टू-बेक संविदा की (मार्च 2007)। अनुबंध के अनुसार, एसटीसी को मै. पीकेएस लिमिटेड से 15 प्रतिशत भुगतान प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट चीनी मिल को भुगतान जारी करने हेतु इसके अनुरोध के पश्चात् चीनी मिलों को चीनी (रेक-वार) की लागत के प्रति 100 प्रतिशत भुगतान करना था। खेप के निर्यात तथा निर्यात प्राप्तियाँ पाने के पश्चात्, एसटीसी को अपने व्यापार मार्जिन, ब्याज तथा अन्य बैंक प्रभारों की वसूली करने के पश्चात पीकेएस को शेष भुगतान जारी करना था। पीकेएस ने निर्यात आदेश मूल्य के 110 प्रतिशत तथा एसटीसी द्वारा दी गई धनराशि के प्रति ब्याज के उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) जमा कराए थे जिन्हें मै. पीकेएस की ओर से किसी विफलता के मामले में एसटीसी द्वारा भुनाया जा सकता था। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण, क्रेताओं ने

समय पर उतराई पत्तन पर माल नही उठाया तथा परिणामस्वरूप पीकेएस ने खेप को रियायती दर पर बेच दिया। एसटीसी ने 2009-10 तक मै पीकेएस को ₹ 182.04 करोड़ की धनराशि दी थी जिसके प्रति एसटीसी ₹ 20.89 करोड़ का शेष बकाया छोडते हुए ₹ 164.33 वसूल कर सका (31 मार्च 2011 तक ब्याज सहित)। इसके अतिरिक्त, भुगतान हेतु एसटीसी द्वारा प्रस्तुत किये गए चेक बैंको द्वारा अस्वीकार कर दिये गए थे।

परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के अलावा, एसटीसी ने पीकेएस द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत एवं निगम गारन्टियों का उपयोग किया। विधिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप, कोलकाता उच्च न्यायलय ने एक सरकारी प्रबन्धकर्त्ता नियुक्त किया जिसने पीकेएस लिमिटेड से संबंधित गुआ, झारखंड मे पडे लगभग 1.07 लाख एमटी लौह अयस्क स्टॉक पर कब्जा लिया जो एसटीसी के बकाया के बदले मै.पीकेएस द्वारा एसटीसी को रेहन किया गया था, तथा बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंन्ध के अनुसार, खेप का भुगतान विदेशी क्रेता द्वारा एलसी आधार पर किया जाना था तथा एसटीसी द्वारा संवितरित धन पीकेएस द्वारा जारी किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाना था। तथापि, वर्तमान मामले मे बकाया देय राशियाँ 2008-09 की थी तथा विदेशी क्रेताओं की ओर से चूक स्पष्ट थी, परन्तु एसटीसी समय पर कार्यवाही करने मे विफल हुआ। उपलब्ध पीडीसी 22 फरवरी 2011 को ही जमा कराए गए थे तथा बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिये गए थे। परिणामस्वरूप ₹ 20.89 करोड़ की वसूली संदिग्ध हो गई ।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2014) कि इसने बकाया देय राशियों की वसूली के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम की धारा 9 के तहत भी विधिक कार्यवाही प्रारंभ की थी। व्यक्तिगत एवं निगम गरन्टी का भी उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीकेएस के 1.07 लाख एमटी लौह अयस्क स्टॉक के कब्जे हेतु एक सरकारी प्रबन्धकर्त्ता नियुक्त किया गया था तथा मामला भारतीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए) दिल्ली को प्रेषित किया गया था; जो लम्बित था। एसटीसी ने मै. पीकेएस के विरूद्ध बकाया ₹ 20.89 करोड़ की कुल राशि 2012-13 मे बट्टे खाते में भी डाल दी थी।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि प्रबंन्धन ने बकाया देय राशियों को बट्टे खाते मे डालते हुए यह तथ्य स्वीकार कर लिया था कि खानों से लौह अयस्क के निर्यात/परिचालन पर अनेक प्रतिबंधो के कारण लौह अयस्क के भण्डार को बेच पाना कठिन होगा। अत: अनुबंध के

प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्यवाही करने मे विफलता के परिणामस्वरूप एसटीसी को ₹ 20.89 करोड़ की हानि हुई।

4.1.4 स्टॉक का उठान ना होना

4.1.4.1 ताड़ के कच्चे तेल का आयात

पीईसी ने मै. मीहीजम वनस्पति लिमिटेड (एमवीएल) के लिए 2999.766 एमटी ताड़ के कच्चे तेल (सीपीओ) का आयात किया (जुलाई 2012)। एमवीएल को 180 दिनों की मियादी अवधि के अन्दर सीपीओ उठा लेना था। यद्यपि मियादी अवधि दो बार 90-90 दिन के लिए बढ़ाई गई थी तथा उठान अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी परन्तु फिर भी एमवीएल समग्र सामग्री को नहीं उठा पाया तथा 2385.766 एमटी का शेष स्टॉक में शेष था (जुलाई 2013)। सर्वेक्षक की रिर्पोट (21 अक्टूबर 2013) से पता चला कि केवल 2333.341 एमटी का स्टॉक उपलब्ध था। पीईसी ने यह भी देखा (जुलाई 2013) कि दीर्घकालीन भण्डारण के कारण स्टॉक शायद मानवीय प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं था। 5.47 करोड़ के पीडीसीज अस्वीकृत हो गए थे (सितम्बर 2013)। लेखापरीक्षा ने देखा कि पीईसी ₹ 15.45 करोड़ के अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने में विफल हुआ था तथा गुणवत्ता में निरंतर विकृति के कारण गिरवी रखे गए स्टॉक को खोने का जोखिम भी था। इसके अतिरिक्त, पीईसी सीपीओ के स्टॉक में 52.425 एमटी के अन्तर का मिलान करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने उत्तर (जून 2014) दिया कि पीईसी अपने हितों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है तथा सही समय पर खेप की नीलामी का अवसर भी खोज रहा था। पीईसी ने चेक स्वीकार ना होने के लिए एमवीएल के विरूद्ध एक न्यायिक मामला भी दर्ज कराया है।

4.1.4.2 दालो का उठान न होने के कारण निधियों का अवरोधन

मै. आर. प्यारेलाल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड (आरपीआईईएल) नियमित रूप से कृषि उत्पादों के आयात के लिए पीईसी से जुडी हुई थी तथा 31 मार्च 2010 को सहयोगी के के प्रति ₹ 114.53 करोड़ की बकाया देय राशियाँ थी। इसके बावजूद, पीईसी ने पुन: अगस्त 2010 तथा फरवरी 2011 के मध्य दालों के आयात के लिए आरपीआईईएल के साथ अनुबंध किये। लेखापरीक्षा ने देखा कि सहायक ने न तो समग्र स्टॉक उठाया था एवं न ही विदेशी एलसीज के भुगतान से पहले समग्र लागत का भुगतान किया था। तथापि,

पीईसी देय राशियों की वसूली के लिए सहयक के जोखिम एवं लागत पर स्टॉक को बेचने में विफल हुई।

प्रबंन्धन ने उत्तर दिया (जून 2014) कि पार्टी वित्तीय संकट मे थी तथा देय राशियों के निपटान के समय हेतु अनुरोध किया था तथा प्रति दिन काफी मात्रा मे स्टॉक को बेच रही थी। आरपीआईइएल ने बकाया देय रशियों के लिए समर्थक प्रतिभूति के प्रति ₹ 35 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति को गिरवी रखने के लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे।

तथापि, तथ्य यह है कि पीईसी चूक के तीन वर्ष से अधिक के बाद भी अनुबंध के अनुसार कार्यवाही करने मे विफल हुआ था जिसके कारण ₹ 80.74 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ (फरवरी 2013)।

4.1.4.3 पश्चिम बंगाल सरकार को दालों की आपूर्ति

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (डीओएफएस) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर (जुलाई 2009 तथा अगस्त 2009) एमएमटीसी ने ₹ 25.72 करोड़ तथा ₹ 5.03 करोड़ के मूल्य पर क्रमश: 5000 एमटी मसूर तथा 1000 एमटी मूँग दाल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया (12 अगस्त 2009)। डीओएफएस ने प्रस्ताव स्वीकार किया (13 अगस्त 2009) तथा 1-2 दिन में बैंक गारन्टी जमा कराने का आवश्वासन दिया। एमएमटीसी ने डीओएफएस को सूचित किया (16 सितम्बर 2009) कि मूँग दाल की समस्त खेप जहाज द्वारा भेज दी गई थी तथा मसूर की खेप भी जल्दी ही भेजे जाने की संभावना थी तथा बैंक गारन्टी जारी करने का अनुरोध किया। तथापि डीओएफएस ने बीजी उपलब्ध नही कराई एवं दिनांक 24 सितम्बर 2009 के पत्र द्वारा एमएमटीसी को दालों का आयात करने के अपने निर्णय को निरस्त करने की सूचना दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमएमटीसी द्वारा संविदा का कार्यान्वयन डीओएफएस से 100 प्रतिशत वित्तीय बैंक गारन्टी की प्राप्ति के अध्यधीन था, परन्तु इसने बैंक गारन्टियों की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना संविदा का कार्यान्वयन किया। तत्पश्चात, सामग्री खुले बाजार में ₹ 11.37 करोड़ के घाटे पर बेची गई थी।

प्रबन्धन ने लेखापरीखा आपत्ति में दिए गए तथ्यों तथा ऑकडों की पुष्टि की (मार्च 2014)।

4.1.4.4 सूती कचरे के निपटान में विलम्ब

एमएमटीसी ने 100 प्रतिशत बेक-टू-बेक बिक्री के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से सूती कचरे की खरीद के लिए मै. सुचेतन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के साथ एक एमओयू (नवम्बर 2009) किया। तदनुसार, एमएमटीसी ने नवम्बर 2009 में 1042.101 एमटी तथा वर्ष 2010-11 में 102.059 एमटी सूती कचरा खरीदा। एमओयू की शर्तों के अनुसार, सूती कचरा एमएमटीसी को भुगतान करके 120 दिन के अन्दर उठाया जाना था। चूंकि एसईपीएल निर्धारित अवधि मे सारे स्टॉक को बेच पाने में विफल हुआ था, 607.02 एमटी का शेष स्टाक (जुलाई 2012) अगस्त तथा नवम्बर 2012 अर्थात् दो वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात, एसईपीएल के जोखिम एवं लागत पर बेचा गया। उपलब्ध ईएमडी के समायोजन के पश्चात मूल्य मे अन्तर तथा ब्याज लागत से कारण एसईपीएल से वसूली योग्य राशि ₹ 1.33 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 'जोखिम एवं लागत' बिक्री खंड का उपयोग करने का निर्णय लेने में विलम्ब तथा पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ की वसूली नही हुई।

प्रबंन्ध ने अपने उत्तर मे (जुलाई 2014) बताया कि एमएमटीसी के पास ₹ 1.50 करोड़ के पीडीसीज थे परन्तु प्रस्तुत करने पर ये अस्वीकार कर दिये गए जिसके लिए पार्टी के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया था।

4.1.4.5 जोखिम एवं लागत आधार पर बिक्री के कारण हानि

एमएमटीसी ने गोदाम आधार पर दालों (लैमन तूर तथा तूर मलावी) की बिक्री के लिए तीन सहायकों के साथ सविदाऐं (2010-11) कीं। यद्यपि तीनों सहायकों ने निर्धारित समय सीमा में मात्रा नहीं उठाई थी फिर भी एमएमटीसी ने अनुबंधों के अनुसार मार्क-टू-मार्किट हानियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त ईएमडी प्राप्त नही की थी तथा उठाई गई मात्रा को जोखिम एवं लागत आधार पर बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.40[1] करोड़ की हानि हुई (जुलाई 2014)।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2014) तथा बताया कि तीनों पार्टियों के ईएमडी जब्त कर लिए गए थे तथा ₹ 3.40 करोड़ की देय राशियों की वसूली हेतु मध्यस्थता प्रक्रिया प्रारंभ की गई थीं।

---

[1] मै. बद्री ₹ 1.12 करोड़, मै. आर प्यारेलाल-0.93 करोड़ तथा मै. बालाजी-₹1.35 करोड़

4.1.4.6 एसटीसी मे आयातित पीली मटर का उठान न होना

एसटीसी ने मै. आर प्यारेलाल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड (आरपीआईईएल) की ओर से दालो का आयात किया(2008-09 तथा 2009-10)। स्टॉक एसटीसी के पास गिरवी रखा गया था तथा यह 120 दिनों की अवधि के अन्दर कैश एण्ड कैरी आधार पर उठाया जाना था। आरपीआईईएल प्रारंभ से ही आयातित स्टॉक के उठान में सुस्त था तथा स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन में भी सहायता नही कर रहा था। अतत: आरपीआईईएल 21927.59 एमटी पीली मटर को उठाने में विफल रहा (सितम्बर 2013)। इसके बावजूद, एसटीसी ने पार्टी के जोखिम एवं लागत पर सामग्री के निपटान के लिए कार्यवाही नहीं की। आरपीआईईएल द्वारा दिए गए चेक भी प्रस्तुत करने पर अस्वीकार कर दिए गए थे (दिसम्बर 2012)। परिणामस्वरूप, ₹ 131.61 करोड़ की राशि आरपीआईईएल के विरूद्ध बकाया थी (फरवरी 2014), जिसमें से एसटीसी पहले ही ₹ 75.26 करोड़ को बट्टे खाते में डाल चुका है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि बकाया देयताओं की वसूली के लिए आरपीआईईएल के विरूद्ध पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई हैं।

4.1.5 मध्यस्थता/न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों के निष्फल परिणाम

एमएमटीसी में मध्यस्थ्ता तथा न्यायालय मामलों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि तीन[2] मामलों में मध्यस्थता पंचाट/उच्च न्यायालय आदेश एमएमटीसी के पक्ष में थे परन्तु या तो पार्टियाँ रूग्ण घोषित कर दी गई थी अथवा मध्यस्थता पंचाट के विरूद्ध अपील दायर की गई थी, एमएमटीसी ₹ 12.63 करोड[3] की अपनी देय राशियाँ वसूल नही कर सकी थी।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में बताया कि दो मामलों में (मै. वरूणा एग्रो प्रोटीन्स तथा मै. सूर्या एग्रो) में दावे सरकारी परिसमापन के समक्ष लम्बित थे, जबकि एक मामले में (मै. प्रियंका ओवसीज लिमिटेड) मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित था।

---

[2] मै. वरूणा एग्रो प्रोटीन्स ओवसीज लिमिटेड, मै. सूर्या एग्रो ऑयल तथा मै. प्रियका ओवरसीज लिमिटेड

[3] मै. वरूणा एग्रो प्रोटीन्स ₹ 7.36 करोड़, मै. सूर्या एग्रो ऑयल ₹ 3.37 करोड़ तथा मै. प्रियंका का ओवरसीज लिमिटेड ₹ 1.90 करोड़।

प्रबंन्धन का उत्तर तथ्यात्मक है और चूंकि मामला परिसमापन/न्यायालय के समक्ष लम्बित है, इसलिए ₹ 12.63 करोड़ की देय राशियों की वसूली की संभावना दूरस्थ है। न्यायालय आदेशों के बावजूद देय राशियों की वसूली में विफलता केवल गतिविधि के उच्च रूप से जोखिम भरी प्रवृति के होने के लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करती हैं।

निष्कर्ष

तीनों सीपीएसईज द्वारा कृषि वस्तुओं में व्यापार कुप्रबंन्धन, संभावित कपट, लापरवाही, तथा वित्तीय विवेक के अभाव को दर्शाता है। आपूर्तिकर्त्ता, क्रेता, भण्डारण, नौवहन हेतु प्रबंन्धन इत्यादि को चिन्हित करने की समस्त गतिविधि सहायकों द्वारा निष्पादित की गई थी, जो निजी पार्टियॉं हैं, यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या यह व्यापारिक गतिविधि कहलाने योग्य है। वास्तव में, तीनों सीपीएसईज सहायकों की साख की योग्यता का आंकलन करने में विफल हुई थी तथा पर्याप्त सुरक्षा के बिना ही उच्च रूप से जोखिम भरे कार्यों को धनराशि उपलब्ध करने में शामिल हो गई थीं। परिणामस्वरूप, वित्तपोषित धनराशि के प्रति अपर्याप्त सुरक्षा के कारण हानि उठाई तथा वे सही ढंग से गिरवी रखे गए स्टॉक को सुरक्षित रखने के योग्य भी नहीं थी। उठाई ना गई सामग्री के निपटान तथा जोखिम बिक्री खंड का उपयोग करने का निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब और पीडीसीज के आधार पर स्टॉक जारी करना प्रबंन्धन के अपराधबोध की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती होते हैं फिर भी कहीं ऐसा देखने को नही मिला कि उन्होनें पर्याप्त सुरक्षा पर जोर देकर सरकार के हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा की हो।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में बताया कि चूँकि मुद्दे सीपीएसईज की वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है इसलिए उन्हें इस मामले में कोई टिप्पणी नही करनी है।

नीलाचंल इस्पात निगम लिमिटेड

4.2 बोनस का अनियमित भुगतान

कम्पनी की अनुमोदित वार्षिक निष्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना से विचलन में कर्मचारियों को ₹ 7.03 करोड़ की राशि के बोनस का अनियमित भुगतान किया गया।

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक निष्पादन सम्बद्ध योजना

(एपीएलआरएस) प्रारंभ (सितम्बर 2006) की जिसे बाद में बढ़ाया गया था। योजना ने वार्षिक बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक भुगतान की तत्कालीन विद्यमान योजना का स्थान लिया था तथा क्रमश: 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत ओवन तथा 30 प्रतिशत भारिता वाले कोक को दर हेतु सस्ते पिग आयरन उत्पादन, आवेन पुर्शिग तथा तकनीकी आर्थिक कारकों से संबंधित लक्ष्य को पूरा करने पर आधारित थी। पहले दो मानदंड कम से कम 80 प्रतिशत निष्पादन की प्राप्ति पर ही अर्जन क्षमता प्राप्त करने के लिए थे। एक वर्ष में प्रति कर्मचारी भुगतान योग्य राशि उपरोक्त तीनों मानदंडों से कुल अर्जन को उस वर्ष के लिए निवल लाभ के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले एक लाभप्रदता कारक जोड़ द्वारा गुणा के जोड़ पर निर्भर होती है। 100 प्रतिशत परितोष पर योजना के तहत भुगतान के लिए कुल संभावना (तीनो मानदंडों सहित) प्रति कर्मचारी ₹ 8000 निर्धारित की गई थी। योजना में तीनों मानदंडों के लिए 100 प्रतिशत निष्पादन स्तर से निष्पादन में प्रत्येक पाँच प्रतिशत वृद्धि के लिए एक प्रतिशत की अतिरिक्त अर्जन संभावना भी थी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2010-11 तथा 2012-13 में हानि वहन करने के बावजूद जब संबंधित लाभप्रदत्ता कारक 'शून्य' हो गया था, कम्पनी ने ₹ 4.52 करोड़ की राशि का बोनस वितरित किया। इसके अतिरिक्त, 2008-09 से 2011-12 के लिए बोनस की गणना मे पहले दो मानदंडो से आय शामिल थी जबकि, 80 प्रतिशत का अपेक्षित न्यूनतम निष्पादन स्तर प्राप्त नही किया गया था। 2006-07 के लिए गणना में इसके तीसरे मानदंड से 100 प्रतिशत से अधिक की आय शामिल थी, यद्यपि योजना में व्यक्तिगत मानदण्डों के लिए ऐसी किसी अर्जन संभावना पर विचार नही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2006-07 से 2011-12 (2010-11 को छोड़ कर) के लिए ₹ 2.51 करोड़ की राशि के बोनस का अधिक भुगतान हुआ।

यह भी देखा गया था कि 2006-07 से 2012-13 से संबंधित बोनस का भुगतान ₹ 8000 प्रति कर्मचारी की निर्धारित राशि से अधिक था, यद्यपि तीनो मानदंडो के लिए 100 प्रतिशत निष्पादन स्तर कभी प्राप्त नही किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना में प्रत्येक वर्ष अर्जित किये गए निवल लाभ के संबंध में लाभप्रदत्ता कारक निर्धारित करने में स्पष्टता की कमी थी जो पूरी तरह से अर्जित किये गए निवल लाभ के स्तर से संबंधित नही थी।

कम्पनी ने बताया (अक्टूबर 2014) कि लाभप्रदत्ता कारक पिछले वर्ष अर्जित लाभ, कर्मचारियो के अपेक्षाओं तथा निकटवर्ती उद्योगों मे पालन की जा रही प्रणालियों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया था। यह भी बताया था कि प्रचलित योजना के

तहत किसी वर्ष कम्पनी द्वारा हानि उठाने पर, लाभप्रदत्ता कारक 'एक' था तथा इसलिए कर्मचारी केवल उत्पादन एवं उत्पादकता के तहत घटकों के लिए बोनस भुगतान के हकदार थे। इसके अतिरिक्त सेल के साथ निकटवर्ती उद्योगों में तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाईयों में पूजा समय के दौरान कर्मचारियों को प्रचलित भुगतान, कर्मचारियों की सामान्य अपेक्षाओं पर विचार करते हुए भी शिथिलन तथा विचलनों पर विचार किया गया था।

उपरोक्त तर्क इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि जिन वर्षों मे कम्पनी ने हानि वहन की थी, लाभप्रदत्ता कारक 'शून्य' था, ना कि 'एक' जैसा कि प्रबंन्धन द्वारा दावा किया गया था। इस प्रकार, उन वर्षों मे जब हानियाँ वहन की गई थी, तब योजना के तहत कोई आय नही होनी चाहिए थीं। इसके अतिरिक्त, अन्य कारक जैसे कर्मचारियों की अपेक्षाए अनुमोदित योजना के कार्यक्षेत्र से परे थे। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज के कर्मचारियों को पारितोषिक का भुगतान बन्द कर रखा था। (नवम्बर 1997) जो किसी अनुमोदित योजना के कार्य क्षेत्र से परे था।

अत: कम्पनी ने अपनी अनुमोदित वार्षिक निष्पादन सबंध परितोषिक योजना से विचलन में ₹ 7.03 करोड़• की राशि के बोनस का अनियमित भुगतान किया था।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

पीईसी लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड तथा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4.3 अफ्रीकी देशों को चावल के निर्यात के लिए भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करना

पीईसी लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड तथा दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अफ्रीकी देशों को चावल का निर्यात करते समय, अपने 'सहायकों' द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन करवा पाने में विफल हुई; परिणामस्वरूप, सहयोगियों ने विदेशों से सीधे ही सौदा किया तथा भारी लाभ कमाया, जो अन्यथा इन सीपीएसईज द्वारा कमाया जा सकता था।

• ₹ 4.52 करोड़ + ₹ 2.52 करोड़

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई), वाणिज्य विभाग ने अफ्रीकी देशों नामत: कोमरोसा तथा मारीशस को जनवरी 2008 में एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से, सियरा लियोन गणराज्य को मार्च 2008 में पीईसी लिमिटेड के माध्यम से, तथा मेडागास्कर तथा घाना को क्रमश: जनवरी 2008 तथा अक्टूबर 2008 मे द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) के माध्यम से, गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी। चावल का निर्यात दिनांक 24.01.2008 की महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन था कि सीपीएसई **(i)** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के परामर्श से निर्यात करेंगी; **(ii)** बाजार मे उन चावल मिलों से चावल खरीदेंगी जिन्होंने पहले ही लेवी चावल की सुपुर्दगी एसटीसी/राज्य एजेन्सियों को कर दी थी, तथा **(iii)** सुनिश्चित करेंगी कि चावल की खरीद के लिए भुगतान किया गया मूल्य, जितना संभव हो सके एमएसपी मूल्य के निकट होना चाहिए ताकि देश में खरीद प्रचालनों में परेशानी न हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीएसईज ने उपरोक्त शर्तों का पालन नही किया। सहयोगी का चयन भी बोली[1] आंमत्रित किये बिना अपारदर्शी ढंग से किया गया था तथा अधिकतर मामलों मे अफ्रीकी देशों की सरकारों ने चावल के निर्यात के लिए भारतीय आपूर्तिकत्ताओं को नामाँकित किया था। 'सहयोगियों' (आपूर्तिकर्त्ताओं) ने इन देशों में राज्य एजेन्सियों/क्रेताओं से प्रत्यक्ष सौदेबाजी की थी तथा चावल का निर्यात मूल्य चावल के न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एमएसपी)[2] यूएसडी 329.52 पीएमटी के प्रति यूएसडी 430 पीएमटी से यूएसडी 684 पीएमटी तक निर्धारित किया जैसा कि नीचे दिये गए ब्यौरों से देखा जा सकता है:

---

[1] एमएमटीसी द्वारा मारीशस को किये गए निर्यात के मामले को छोडकर

[2] 'सहयोगियों' द्वारा 2008-09 में खरीदे गए चावल की दर उपलब्ध नही थी। अत: चावल की दर खरीद विपणन सत्र 2008-09 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के परिपत्र सं. 192 (23)/2008-एफसी/अकाउंटस दिनांक 4 नवम्बर 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार तथा इसकी एजेन्सियों के संबंध में केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को भेजे गए कस्टम मिल्ड राईस हेतु धान के एमएसपी की दरों तथा अन्य प्रभारों के आधार पर लगाया गया है जो इस प्रकार है: कच्चे चावल (श्रेणी-ए) की दर = ₹ 1512.84/ क्विंटल अथवा ₹ 15128.40/एमटी अथवा यूएसडी 329.52 एमटी (1 यूएसडी = ₹ 45.91 मानते हुए)

पीएसयू का नाम	देश जिसे निर्यात किया गया	अवार्ड की गई मात्रा (एमटी में)	सहयोगी का नाम	निर्यात की गई मात्रा(एमटी में)	निर्यातदर/ एमटी (यूएसडी में)	पीएसयू का मार्जिन/एमटी (यूएसडी में)	चावल के एमएसपी यूएसडी 329.52/एमटी से अधिक सहयोगी द्वारा रखा गया मार्जिन
पीईसी	सिएरा लियोन गणराज्य	40000	शिवनाथ राय हरनारायण लिमिटेड (एसआरएच एल)	22047.5	430	5	95.48
				17952.5	470	5	135.48
एमएमटीसी	मॉरीशस	9000	एलएमजे इंटरनेशनल लिमिटेड।	9000	455	87	38.48
	कोमोरोस	25000	एसआरएचएल	25000	495	14	संविदा निरस्त
			एसआरएचएल	3100	640	10	300.48
			एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड।	2700	640	10	300.48
			अमीरा फूड्स इंडिया लिमिटेड (एएफआईएल)	2700	640	10	300.48
एसटीसी	घाना	15000	एएफआईएल	15000	684	10.26	344.22
	मेडा-गास्कर	50000	जयमजय एक्सपोर्ट	50000	410-420	1.5 प्रतिशत	संविदा निरस्त
			एसआरएचएल	45000	450	6.75	113.73
			एसआरएचएल	5000	458	6.87	121.61

इस प्रकार, जहाँ सहयोगी यूएसडी 38.48 पीएमटी से यूएसडी 344.22 पीएमटी तक लाभ मार्जिन का आनन्द उठा रहे थे, वही सीपीएसईज ने यूएसडी 5-10 पीएमटी का न्यूनतम मार्जिन अर्जित किया (एमएमटीसी द्वारा मारीशस को किये गए निर्यात के मामले को छोड़कर जहाँ यह यूएसडी 87/एमटी था)। इसके अतिरिक्त, यद्यपि चावल उन चावल मिलों से खरीदा जाना था जिन्होंने पहले ही लेवी चावल की सुपुर्दगी एसटीसी/राज्य एजेन्सियों को कर दी थी, इसलिए सीपीएसईज ने ना तो यह सुनिश्चित किया कि खरीद ऐसी मिलों से की गई थी और न ही, घाना को निर्यात के मामले को छोड़कर, सहयोगियों से कोई प्रमाणपत्र प्राप्त किया था।

सीपीएसईज़ ने चावल का निर्यात करने से पहले संबंधित निदेशक मंडलों का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया था जबकि सभी मामलों में संविदा की अधिकतम सीमा उनकी शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) में निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी।

सीपीएसईज ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया (एमएमटीसी: जनवरी 2014, एसटीसी मई 2014 तथा पीईसी: जून 2014):

- सहयोगी संबंधित विदेशी सरकारों द्वारा नामॉकित किये गए थे जिन्होने सीधे ही उनके साथ मूल्य तथा वाणिज्यिक शर्तें भी तय कर ली थी। सहयोगियों ने चावल उन मिलों से खरीदा था जिन्होने पहले ही अपनी उगाही देयताओं का निर्वहन कर दिया था तथा निर्यात 'बैंक-ट्र-बैंक' आधार पर किये गए थे। इसके साथ ही सीपीएसईज की कोई निधि इसमें शामिल नही थी तथा इन संव्यवहारों में कोई हानि नही हुई थी।

- निर्यात मूल्य पूर्व-नौवहन गतिविधियों, समुद्र मालभाड़ा इत्यादि का योग था तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार की जोखिम भरी प्रवृति के कारण उपयुक्त माना गया था।

- व्यापार संव्यवहार सीएमडी तथा सभी कार्यकारी निदेशकों वाली प्रबंन्धन/निदेशक समिति (सीओएम/सीओडी) द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किये गए थे। इसके अतिरिक्त एसपीसीओडी/एफएमसीओडी♦ के कार्यवृत त्रैमासिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किये गए थे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) ने तीनों सीपीएसईज के उत्तरों की पुष्टि करते समय बताया (सितम्बर 2014) कि अफ्रीकी देशों के चावल के निर्यात के अभिलेखों की जाँच के पश्चात, इन संव्यवहारों में शामिल तीनों निजी क्षेत्र की फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया था तथा चार वर्षों की अवधि के लिए वाणिज्य विभाग की सीपीएसईज के साथ आगामी सभी संव्यवहारों से विवर्जित कर दिया गया था। इन फर्मों के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों को एक परामर्श भी जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर एमओसीआई के तीन अलग अलग अतिरिक्त सचिव स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभागीय पूछताझ भी आयोजित की गई है। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने सीपीएसईज के नौ अधिकारियों को सजा दी हैं। एमओसीआई ने आगे बताया कि भविष्य में ऐसी घटना

♦ एसपीसीओडी-निदेशक खरीद बिक्री समिति; एफएमसीओडी-निदेशक कार्यकारी प्रबंन्धन समिति

की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी करके सुधारात्मक कार्यवाही की गई हैं।

सीपीएसईज द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनहोने चावल के निर्यात के लिए डीजीएफटी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नही किया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय के दिर्शानिदेशों के प्रभाव का आंकलन भविष्य में लेखापरीक्षाओं में किया जाएगा।

द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

4.4 पोतलदानोत्तर वित्त में परिचालनात्मक कमियों के कारण देय राशियों की वसूली न होना

पोतलदानोत्तर वित्त योजना के क्रियान्वयन में कमियों के कारण ₹ 446.29 करोड़ की देय राशियों की वसूली नहीं हुई। बीमा प्रीमियम पर ₹ 17.07 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा, एक्जिम बैंक द्वारा स्वीकार किये गए संदिग्ध वैधता के निर्यात दस्तावेजों को भुनाना भी देखा गया ।

4.4.1 क्रेडिट संबंद्ध बीमा योजना

4.4.1.1 स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)[1] की प्रबंन्धन समिति (सीओएम) ने आयात तथा निर्यात संचालनों के लिए क्रेडिट संबंद्ध बीमायोजना (सीएलआईएस) के अन्तर्गत पोतलदानोत्तर वित्त (पीएसएफ)[2] का अनुमोदन (सितम्बर 2005) किया। अनुमोदित योजना के अनुसार सहयोगी को एसटीसी की तरफ से माल का निर्यात करना था तथा निर्यात दस्तावेज जमा कराने थे जो भुनाने के लिए त्रणदाता बैंक[3] अर्थात् एचएसबीसी के माध्यम से चलने थे। एचएसबीसी को ₹ 50 करोड़ की हानि तक

---

[1]प्रबंन्धन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंन्ध निदेशक, सभी कार्यरत निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) शामिल हैं।

[2] पोतलदानोत्तर वित्त पहले ही किये जा चुके नौभार के प्रति एक निर्यातक अथवा विक्रेता को एक वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया एक प्रकार का ऋण है। पीएसएफ माल के नौभार के पश्चात क्रेडिट देने की तिथि से निर्यात प्राप्तियों की वसूली की निर्धारित तिथि तक दिया जाता है।

[3] विनिमय पत्र को इसके सम मूल्य से कम पर तथा इसकी परिपक्वता तिथि से पहले भुनाना अथवा व्यापार करना। तब बैंक नियत तिथि पर उधारकर्ता के ग्राहक को पत्र विनिमय पत्र प्रस्तुत करता हैं तथा कुल राशि प्राप्त करता है।

एसटीसी के प्रति कोई उपाय नही करना था। सहयोगी को 'स्वीकारने पर देय प्रलेख' (डीए)[4] के आधार पर भुगतान किया जाना था तथा विदेशी क्रेता से 90 से 180 दिनों के अन्दर भुगतान जारी करने की आशा थी। व्यापार की शर्तें तथा निबंधन मै. न्यु इंडिया एश्योरेंश कम्पनी (एनआईए) (मई 2005) के 'व्यापार क्रेडिट शिल्ड' नीति के अनुसार होनी थीं।

4.4.1.2 जहॉं एसटीसी की मुम्बई शाखा ने प्रांरभ मे पोतलदानोत्तर वित्त (पीएसएफ) एचएसबीसी से मँगाने का प्रस्ताव दिया था, वहॉं एसटीसी ने एक्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) तथा एबीएन एएमआरओ से अनुवर्ती प्रस्तावों पर भी विचार किया था तथा कृषि संबंधित वस्तुओं तथा अन्य उत्पादों के लिए पीएसएफ हेतु यूएसडी 50 मिलियन की क्रेडिट सीमा के साथ जनवरी 2006 में एक अनुबंध के माध्यम से एक्जिम बैंक का अपने ऋणदाता बैंक के रूप में चयन किया। एक्जिम बैंक को निर्यात बिल बीजक मूल्य के 90 प्रतिशत पर भुनाना था। चुकौती संवितरण की तिथि से 180 दिन अथवा निर्यात प्राप्ति जो भी पहले हो में से की जानी थी।

एचएसबीसी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था से महत्वपूर्ण विचलन में, जैसा उपरोक्त पैरा 1.1 में दर्शाया गया है, एसटीसी बीमा नीति के तहत सभी संचालनात्मक जोखिमों के लिए उत्तरदायी था तथा एक्जिम बैंक को एसटीसी का पूरा आश्रय था। अतः बीमा द्वारा कवर ना की गई देय राशियों की चुकौती में विदेशी क्रेताओं द्वारा की गई चूकों के कारण हानि एसटीसी द्वारा वहन की जानी थी। निधीयन बीमा नीति तथा उसमें निर्दिष्ट क्रेता की सीमा के तहत कवर किये गए संव्यवहारों तक सीमित किया गया था।

4.4.1.3 एसटीसी ने नवम्बर 2006 तक एनआईए से क्रेडिट बीमा नीति ली थी (नवम्बर 2005) जिसके तहत एनआईए को विदेशी क्रेताओ की क्रेडिट सीमा निर्धारित करनी थी। विदेशी क्रेताओं के 60 दिन से अधिक पुराने कर्ज के मामले में नयी प्राप्तियाँ बिना बीमा के रहनी थीं। एसटीसी को एक कर्ज के 30 दिनों से अधिक तक आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अप्रदत्त होने पर तुरन्त एनआईए को सूचित करना था तथा 30 दिनों से अधिक विलम्ब से भुगतान करने वाले क्रेताओं का विवरण प्रस्तुत करना था। एनआईए की अधिकतम देयता भुगतान किये गए प्रीमियम का 30 गुना थी तथा भुगतान की अधिकतम अवधि बीजक की तिथि से 180 दिन थी। तत्पश्चात, एसटीसी ने एनआईए

---

[4] एक व्यवस्था जिसमें आयातक द्वारा साथ लगे विनिमय पत्र अथवा ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार करने पर ही एक निर्यातक बैंक को शिपिंग तथा स्वामित्व दस्तावेज एक आयातक को सौंपने का निर्देश देता है।

नीति के समान शर्तों तथा निबन्धनों के साथ केवल इसे छोड कर कि अधिकतम देयता भुगतान किये गए प्रीमियम के 50 गुना तक बढ़ा दी गई थी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तत्पश्चात, से जून 2007 तक दूसरी क्रेडिट बीमा नीति ली (जून 2006)।

4.4.1.4 एसटीसी द्वारा अपने 'सहयोगियों' के साथ किये गए संविदात्मक अनुबन्धों के अनुसार (फरवरी 2006 से जुलाई 2009), एक्जिम बैंक से प्राप्त भुनाए गए बिल के 90 प्रतिशत मूल्य मे से, एसटीसी 1.5 प्रतिशत व्यापार मार्जिन के रूप में तथा 5 प्रतिशत आकस्मिकताओं के प्रति रखेगा। जबकि बीजक मूल्य का 83.5 प्रतिशत सहायकों से प्राप्त किये गए उत्तर दिनांकित चेकों के प्रति जारी किया जाना था, शेष 10 प्रतिशत ऋणदाता बैंक द्वारा विदेशी क्रेताओं से अन्तिम भुगतान की प्राप्ति तथा इसे एसटीसी को जारी करने के पश्चात जारी किया जाना था।

2005-06 से 2009-10 के दौरान एसटीसी द्वारा सीएलआईएस के तहत किये गए निर्यात ₹ 1565.13 करोड़ के थे। एसटीसी ने विदेशी क्रेताओ से अपनी राशियों की पूरी वसूली नहीं की थी। परिणामस्वरूप, एक्जिम बैंक ने ₹ 397.17 करोड़ (ब्याज सहित) की बकाया देय राशियों को कार्यकारी पूँजी अवधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) में रूपान्तरित कर दिया (दिसम्बर 2010)।

4.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹ 347.70 करोड़ (अतिदेय प्राप्यों पर ब्याज को छोड़कर) राशि की बकाया देय राशियों के साथ आठ* सहायको से संबंधित पीएसएफ संव्यवहारों की समीक्षा की। सूचना/डाटा, जिसके आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुँची थी, लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किये गए थे तथा पुष्टि हेतु अक्टूबर 2013 में एसटीसी को प्रेषित किये गए थे। यद्यपि एसटीसी ने वित्तीय डाटा की पुष्टि की (दिसम्बर 2013) फिर भी इसने सीएलआईएस के तहत निर्यातों के प्रति बकाया/वसूली योग्य राशियों की पुष्टि करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि, 31 मार्च 2014 तक एसटीसी ने सीएलआईएस के तहत निवल प्राप्यों के प्रति ₹ 446.29 करोड़ का प्रावधान किया था।

---

* मै. (1) मासुमी ₹ 45.70 करोड़ (ii) बोनितों इम्पैक्स ₹ 85.02 करोड़, (iii) ऊष्मा ₹ 157.74 करोड़ (iv) विद्युत ₹ 3.97 करोड़ (v) गणेश ₹ 5.00 करोड़ (vi) इन्डो बोनिटों ₹ 1.80 करोड़, (viii) शालीमार ₹ 22.00 करोड़ तथा (Viii) स्पेस ₹ 26.47 करोड़ (मै. स्पेस के मामले में पीएसएफ एक्जिम बैंक के साथ साथ स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक से प्राप्त किया गया था)।

लेखापरीक्षा में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई हैं।

4.4.2.1 एसटीसी के हित के रक्षा में विफलता

सहयोगियों के साथ किये गए अनुबन्धों में एसटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए बैंक गारन्टी इत्यादि प्राप्त करने का कोई प्रावधान शामिल नही था। यह तक कि कुछ अनुबन्धों में दिए गए सुरक्षा उपायों को भी लागू नही किया गया। उदाहरण स्वरूप मै. मासूमी तथा मै. ऊष्मा के साथ अनुबंधो मे शामिल किये गये, प्रेषण करने में क्रेता की चूक के मामले में सहयोगियों को वितरित पीएसएफ की वसूली के क्लाज को लागू नहीं किया गया और इसी तरह का क्लाज अन्य सहयोगियों के साथ अनुबंध में अनुपस्थित था।

इसके अतिरिक्त, सहयोंगियों के साथ अनुबंधों के अनुसार विदेशी क्रेताओं से भुगतान लदान के बिल/वायुमार्ग बिल की तिथि से क्रमश: 180 दिन तथा 90/120 दिन के अन्दर एसटीसी को प्रेषित किया जाना आवश्यक था। जहाँ 2005-06 में 71.43 प्रतिशत संव्यवहारों में विदेशी क्रेताओं द्वारा भुगतान में चूक थी, वहीं 2006-07 से 2009-10 के दौरान किये गए संव्यहारों में यह 99 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि विदेशी क्रेताओं द्वारा भुगतान करने में चूक एक बड़ा जोखिम था, फिर भी एसटीसी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए विदेशी क्रेताओं के साथ कोई अनुबंध नही किया था।

एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि इसने अनुबंध मे विधिक प्रावधानों के माध्यम से अपने हितो की रक्षा की थी जिसने इसे मै. मासुमी तथा मै. ऊष्मा सहित चूककर्त्ता सहयोंगियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने में सक्षम किया था।

एसटीसी ने इस आधार पर विदेशी क्रेताओं के साथ अनुबंध ना करने को उचित बताया कि निर्यात आदेश क्रेताओं से प्राप्त हुए थे, जिन्हें एसटीसी के सहयोगियों के साथ अनुबन्धों द्वारा सुरक्षा दी गई थी।

उत्तर में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि विधिक कार्यवाही की सहायता अन्तिम सहारे के रूप में ली जाती है तथा यह अनिश्चित परिणाम के साथ एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है। तथ्य यह रहता है कि रक्षोपाय जैसे बैंक गारन्टी इत्यादि, जो विधिक कार्यवाही से बचा सकते थे, अनुबंन्धों का भाग नहीं थें।

4.4.2.2 एसटीसी द्वारा अनुमोदित योजना से विचलन द्वारा पूरे जोखिम को स्वीकार करना

सीएलआईएस के अनुसार, ऋणदाता बैंक एचएसबीसी के पास, विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक के मामले में, एसटीसी के विरूद्ध कोई उपाय नही होगा। तथापि, अनुमोदित योजना से विचलन कर, एसटीसी ने मुख्यत: यूएसडी 300 मिलियन की क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए एक्जिम बैंक का ऋणदाता बैंक के रूप में चयन किया तथा पूर्ण सहायता की देयता ग्रहण कर ली परन्तु विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक के विरूद्ध अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए एक तंत्र निर्धारित नहीं किया।

एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि एक्जिम बैंक को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि यह उसी प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन था। इसने आगे बताया कि कारोबार एक्जिम बैंक के माध्यम से किया गया था न कि एचएसबीसी के साथ क्योंकि अनुबंध के अनुसार निर्यात प्राप्तियों को स्वदेश भेजने का समस्त दायित्व सहयोगियों का था।

उत्तर इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि विदेशी क्रेता/सहयोगी द्वारा चूक के मामले में, एसटीसी ऋण दाता बैंक की देयता को निपटाने के लिए उत्तरदायी था।

4.4.2.3 बीमा पालिसी की अपेक्षाओं का पालन करने में विफलता

(क) मै. मासुमी के दो विदेशी क्रेताओं (मै. मोहम्मद हमजा तथा मै. नईफ किंगडम) के संबंध में, यद्यपि बीमा कम्पनियों द्वारा कोई क्रेडिट सीमा संस्वीकृत नही की गई थी, फिर भी एसटीसी आगे बढ़ा तथा उनके साथ व्यापार किया।

एसटीसी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि मै. मासुमी के विदेशी क्रेताओं के मामले में पीएसएफ स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) से प्राप्त किया गया जिनकी सीमाएं बीमा कम्पनियों द्वारा संस्वीकृत की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि एससीबी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सीमाओं को दर्शाते हुए एससीबी के साथ अनुबन्ध मे (जून 2008) दी गई क्रेताओं की सूची मे उक्त दोनों पार्टियाँ शामिल नही है ।

(ख) एसटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु, विदेशी क्रेताओं की बकाया देय राशियाँ बीमा कम्पनियों द्वारा संस्वीकृत क्रेडिट सीमाओं से अधिक होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुल 42 विदेशी क्रेताओं में से जिन्हें निर्यात किया गया था, 25 क्रेताओं के संबंध में, वकाया देय राशियाँ

संस्वीकृत सीमा से अधिक थीं। यह एसटीसी द्वारा सीएलआईएस की अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि यह देखने पर उन्होने विदेशी खरीदारों के साथ आगामी संव्यवहार बन्द कर दिये थे। उत्तर इससे इन्कार नही करता कि एसटीसी में निगरानी में कमियाँ थीं।

(ग) बीमा पालिसियों में विदेशी क्रेताओं द्वारा भुगतान में चूक को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई शर्तों का पालन करने में एसटीसी विफल रहा जैसा कि तालिका 1 तथा 2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1: एनआईए के साथ बीमा पालिसी की शर्तों की अननुपालना

संव्यवहारों का विवरण	**पालिसी-1**	**पालिसी-2**	**पालिसी-3**
कुल संव्यवहार	**33**	**71**	**49**
घटाया: सव्यवहारों से संबंधित अभिलेख जो उपलब्ध नही हैं/एसटीसी द्वारा मुहैया नही कराए गए	7	शून्य	शून्य
घटाया: वे मामले जहाँ तिथि जिस पर विदेशी आपूर्तिकर्त्ता से भुगतान प्राप्त किया जाना था, एसटीसी के पास उपलब्ध नही है	शून्य	17	07
संव्यवहार जिनके लिए अभिलेख उपलब्ध थे	**26**	**54**	**42**
क्रेताओं द्वारा विलम्बित भुगतान वाले संव्यवहार	25	52	42
संव्यवहार जिन्हें बीमा द्वारा कवर नही किया गया था क्योंकि 60 दिन से अधिक समय से देय ऋण एनआईए को सूचित नही किया गया था।	11	24	31
वे संव्यवहार जहाँ एसटीसी क्रेता द्वारा 30 दिन से अधिक से गैर-भुगतान की सूचना एनआईए को देने की शर्त का पालन करने में विफल हुआ था	15	37	39
छह माह से अधिक चूक वाले संव्यवहार 'दीर्घ चूक'	शून्य	शून्य	15
वे संव्यवहार जहाँ एसटीसी पिछले 12 महीनों में क्रेता द्वारा निरन्तर 30 दिनों से अधिक से गैर-भुगतान की सूचना देने की शर्त का पालन करने में विफल हुआ था	13	43	39

तालिका 2: आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ बीमा पालिसी की शर्तों की अननुपालना

संव्यवहारों का विवरण	**पालिसी-1**	**पालिसी-2**	**पालिसी-3 एवं 4**
कुल संव्यवहार	394	413	23
घटाया: वे मामले जहाँ तिथि, जिसे विदेशी आपूर्तिकर्त्ता से भुगतान प्राप्त किया जाना था, एसटीसी के पास उपलब्ध नही है	100	350	23

संव्यवहार जिनके लिए अभिलेख उपलब्ध थे	**294**	**63**	**0**
क्रेताओं द्वारा विलम्बित भुगतान वाले संव्यवहार	292	63	0
चार माह से अधिक चूक वाले संव्यवहार 'दीर्घ चूक'	128	21	0
वे संव्यवहार जहाँ एसटीसी पिछले 12 महीनों में क्रेता द्वारा निरन्तर गैर-भुगतान की सूचना न्यूनतम संभावित विलम्ब से देने की शर्त का पालन करने में विफल रहा।	349	163	23

एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही एवं सीबीआई पूछताछ जारी थी।

4.4.2.4 क्रेडिट बीमा पालिसियों का कुप्रबन्धन

(क) एसटीसी ने नवम्बर 2005 से फरवरी 2010 की अवधि के लिए ₹ 17.07 करोड़ के कुल प्रीमियम के भुगतान पर एनआईए तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से क्रेडिट बीमा पालिसियाँ ली थी। पालिसी की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार, एसटीसी को आवधिक रूप से विभिन्न उदघोषणा दर्ज कराना आवश्यक था, यथा बीमा योग्य टर्नओवर तथा विलम्बित भुगतान, इत्यादि। तथापि इन शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण, एसटीसी बीमा कम्पनियों के पास दावे दायर नही कर सका। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 में एनआईए से ली गई ₹ 250 करोड़ की अधिकतम हानि देयता (एमएलएल) वाली बीमा पालिसी में ₹ 1.04 करोड़ के प्रीमियम का त्रैमासिक भुगतान आवश्यक था। एसटीसी ने नवम्बर 2009 में देय चौथी किस्त का भुगतान नहीं किया। परिणामत: पालिसी निष्क्रिय हो गई थी। इस प्रकार एनआईए को पिछली तीन किश्तों में भुगतान की गई कुल ₹ 3.13 करोड़[♥] की बीमा प्रीमियम की राशि व्यर्थ हो गई थी।

यहाँ भी, एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय प्रक्रियाऐं एवं सीबीआई पूछताछ जारी थी।

(ख) एसटीसी द्वारा ली गई बीमा पालिसियों में इसके द्वारा वसूली योग्य हानि को अधिकतम हानि स्तर (एमएलएल) अर्थात् एनआईए एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मामले में भुगतान किये गए प्रीमियम के क्रमश: 30-60 तथा 50 गुना तक सीमित कर दिया था। यद्यपि एमएलएल चूक वाली देयराशियों से कम

[♥] यह बीमा कम्पनियों को भुगतान किये गए ₹ 17.07 करोड़ के कुल प्रीमियम में शामिल किया गया है जैसा पैरा 2.4 (क) में दर्शाया गया है।

था, फिर भी एसटीसी द्वारा एमएलएल को बढ़ाने के लिए बीमा प्रीमियम में संशोधन करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नही किया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि अनुबंध के अनुसार बीमा प्रीमियम सहयोगियों से वसूली योग्य थीं।

एसटीसी ने बताया कि (सितम्बर 2014) चूंकि एमएलएल बीमा कम्पनियों से वसूली योग्य हानि से कम रहा था, इसलिए इसके लिए उत्तरदायी एसटीसी के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी। सीबीआई पूछताछ भी जारी थीं।

4.4.2.5 क्रेडिट सीमा के लाभों का निर्धारण किये बिना इसका नवीनीकरण

सीएलआईएस के संचालन के पहले वर्ष से ही क्रेताओं से देय राशियों की वसूली संतोषजनक नही थी क्योंकि 31 जनवरी 2007 को 103 संव्यवहारों में से 102 में विलम्ब/चूके थीं। क्रेडिट का नवीकरण करने से पहले परिचालनात्मक/वित्तीय विवेक के अनुसार पिछले वर्ष के संव्यवहारों का एक विश्लेषण आवश्यक था, एसटीसी ने फरवरी 2007 में ऐसे किसी विश्लेषण के बिना ही एक्जिम बैंक से यूएसडी 50 मिलियन के क्रेडिट का नवीकरण किया। उपर बताए गए 102 मामलों में जहाँ क्रेताओं से भुगतान की प्राप्ति विलम्बित थी, वहाँ एक्जिम बैंक अथवा बीमा कम्पनियों के साथ कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं था।

एसटीसी ने बताया (सितम्बर 2014) कि क्रेता एक्जिम बैंक के माध्यम से भुगतान कर रहे थे, जो स्थिति से अवगत था।

उत्तर यह व्याख्या नही करता कि विदेशी क्रेताओं के निष्पादन का निर्धारण किये बिना क्रेडिट सीमाओं के नवीकरण को एक विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय कैसे माना जा सकता था।

4.4.2.6 संदिग्धि वैधता वाले निर्यात दस्तावेजों को एक्जिम बैंक द्वारा भुनाना

विदेशी क्रेताओं द्वारा भुगतान में निरंतर चूक के कारण 31 मार्च 2009 तक एक्जिम बैंक द्वारा उधार दिये गये क्रेडिट को 'निष्क्रिय परिसम्पत्ति' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करना पड़ा था। एनपीए स्थिति से बचने के लिए, एसटीसी ने कथित रूप से मै. ऊष्मा द्वारा यूएसडी 14.48 मिलियन मूल्य के 'कटाई एवं पालिश' किये गए हीरों के निर्यात को प्रमाणित करने वाले 28 बीजकों की फोटोकॉपी एक्जिम बैंक को प्रस्तुत की। एक्जिम बैंक ने इन बिलों को भुनाया एवं राशि उनकी देय राशियों के प्रति समायोजित की। तथापि वास्तव में एक लम्बे अन्तराल के पश्चात एसटीसी ने मई 2009 में केवल ₹ 73.64 करोड़ मूल्य के 18 पोत लदान प्रलेख प्राप्त किये थे। पुन: 30 जून 2009 को,

एनपीए स्थिति से बचने के लिए एसटीसी ने मै. ऊष्मा, मै. इन्डों बोनिटों तथा मै. मासुमी द्वारा 'कटाई एवं पालिश' किये गए हीरों के निर्यात को प्रमाणित करने वाले निर्यात दस्तावेजों का दूसरा बैच प्रस्तुत किया, जो एक्जिम बैंक द्वारा भुनाए गए एवं सीएलआईएस के तहत क्रेडिट के प्रति देय राशियों के प्रति समायोजित किये गए थे। तथापि, एक्जिम बैंक द्वारा बार बार मॉगने के बावजूद, एसटीसी ने संबंधित विदेशी खरीदारों द्वारा स्वीकृत विनिमय के बिल मुहैया नहीं कराए।

जैसा कि उल्लिखित है सीएलआईएस अतिदेय का समायोजन प्रश्न करने योग्य है क्योंकि निर्यात को प्रमाणित करने के उद्देश्य से ₹ 385.73 करोड़ के निर्यात के दस्तावेज संदिग्ध वैधता वाले थे क्योंकि कथित निर्यात दस्तावेजों के संबंध में विनिमय के बिलो की खरीदारों की स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं हुई।

एसटीसी ने स्वीकार किया (सितम्बर 2014) कि हीरा शिपिंग दस्तावेजों को एग्जिम बैकं को प्रस्तुत किया गया था जिसके प्रति एसटीसी ने एक्जिम बैंक से किसी क्रेडिट का लाभ नही लिया। उसने आगे बताया कि विभागीय कार्यवाही और सीबीआई जांच उनके अधिकारियों के विरूद्ध जारी थी, जिन्होंने आभूषणों, हीरों की कटाई और पालिश के दस्तावेज एग्जिम बैंक को बिना खरीदार की स्वीकृति के सौंपे थे जबकि लेन देन डाक्यूमेंटस एगेंस्ट असेपटेंस (डीए) भुगतान की शर्तों पर थे।

4.4.2.7 दिशानिर्देशों का निरूपण न करना

एक नया व्यवसाय मॉडल होने के नाते सीएलआईएस के प्रभावी निरूपण और कार्यान्वयन के लिए दिर्शानिर्देश बनाने आवश्यक थे जो नहीं बनाये गये। एसटीसी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि व्यवसाय सीओएम नोट में दिए गए ड्रिल/शर्तों और एसटीसी और एसोशिएटस के बीच हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि सीओएम नोट/करार मे एसटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कोई उपाय शामिल नहीं है। उत्तर में सीएलआईएस की पुनरीक्षा के लिए एसटीसी द्वारा गठित समिति द्वारा जून 2009 में दी गई रिर्पोट में उल्लिखित तथ्यो के भी विरोधाभासी है जिसमें कहा गया है कि योजना के अन्तर्गत संचालनों के लिए किसी ड्रिल/लाइन आफ एक्शन का निरूपण नहीं किया गया था।

4.4.2.8 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उत्तर

मंत्रालय ने एसटीसी द्वारा दिए गए उत्तर से सहमति जताई (जून 2014) और यह भी बताया कि सीबीआई मुम्बई के पास आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी और मामला

जांच के अधीन है। सीबीआई ने व्यवसाय सहयोगियों और उनके कार्यकारियों बीमा सलाहकारों और एसटीसी के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। एसटीसी द्वारा अपने सात अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई थी।

निष्कर्ष

एसटीसी नई व्यवसाय योजना प्रारंम्भ करते समय अपने हितों की रक्षा करने में लापरवाह था जिसके कारण भारी हानियां हुई। क्रेडिट बीमा पालिसी की शर्तों के अनुपालन में विफलता से एसटीसी बीमा कम्पनियों से व्यापार हानियों से उबरने में असमर्थ रहा। एसटीसी का कारपोरेट कार्यालय आभूषण/हीरा निर्यात के लिए शिपिंग दस्तावेजों जिसकी कानूनी वैधता संदेहास्पद थी के प्रति एग्जिम बैंक द्वारा समायोजन अनुमत करते हुए बकाया देयों का छलावरण किया ।

पीएसएफ योजना में ऊपर बताई गई चूके योजना के कार्यान्वयन के दौरान विवेचनात्मक पुनरीक्षा कर और पर्याप्त सुरक्षा उपायों से सुधारी जा सकती थीं; जिससे बीमा प्रीमियम पर ₹ 17.07 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा ₹ 446.29 करोड़ के देयों की वसूली न करने से बचा जा सकता था।

मंत्रालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई और सीबीआई जांच के परिणामों की अनावश्यक प्रतीक्षा किए बिना, एसटीसी के कारपारेट कार्यालय/निदेशक मंडल की व्यवसायिक गतिविधियों की मानीटरिंग और नियंत्रण में कमियों की समीक्षा और सुधार करने की सलाह दी जाती है।

एसटीसीएल लिमिटेड

4.5 स्पाइसस पार्क, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश पर निष्फल व्यय

स्पाइसस पार्क, छिंदवाडा, मध्यप्रदेश में स्टीम स्टेरलाइजेशन यूनिट और ग्राइंडिग और पैकिंग यूनिट की स्थापना पर ₹ 7.13 करोड़ का निष्फल व्यय

एसटीसीएल लिमिटेड (कम्पनी), एक भारत सरकार उपक्रम और एसटीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है, स्पाइसस पार्क, छिंदवाडा, मध्यप्रदेश में एक स्टीम स्टेरलाइज़ेशन यूनिट (एसएसयू) और ग्राइंडिंग और पैकिंग यूनिट (जीपीयू) की स्थापना करना चहता था (मार्च 2008)। इन दो यूनिटों को मसालों की सफाई, धूमीकरण, ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, प्रोसोसिंग और पैकिंग का कार्य करना था। इन दो यूनिटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्कृत मसालों की उच्च गुणवत्ता, कीटनाशकों

और अन्य संदूषित पदार्थों का कम उपयोग सुनिश्चित करना था और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता विशिष्टताओं का अनुपालन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ताओं से सीधे ब्रांडड मसालों की मार्केटिंग को बढावा देना, मसाला किसानों के लिए उच्च रिटर्न प्रसंस्करण में मूल्य सवंर्धन, मसालों का उत्पादन बढाने और निर्यातकों को बहुमूल्य विदेशी विनिमय अर्जन में सहयोग सुनिश्चित करना था। भूमि, भवन संयंत्र और मशीनरी, पावर, पानी सहित और पूर्व परिचालन व्यय, कार्यकारी पूंजी, फर्नीचर, और आकस्मिकताओं की लागत सहित दो यूनिटों की परियोजना लागत ₹ 8.04 करोड़ अनुमानित थीं। यह प्रस्तावित किया गया था कि उपरोक्त परियोजना लागत ₹ एक करोड़ तक कम्पनी द्वारा वित्तपोषित की जाएगी जबकि बकाया ₹ 7.04 करोड़ एएसआईडीई (निर्यात अवसंरचना और सहायक गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता) योजना के तहत सरकार द्वारा आवंटित किए जाएगें।

तदनुसार, कम्पनी ने उपरोक्त दो यूनिटों की स्थापना के लिए विधिवत भरे हुए आवेदन सहित तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक लाभप्रदत्ता पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को ₹ 7.04 करोड़ की निधि की संस्वीकृति के लिए अनुरोध (मार्च 2008) किया। उत्तर में मंत्रालय ने उपरोक्त परियोजना के लिए केवल ₹ 6.29 करोड़ की संस्वीकृती (अगस्त 2008) इस अनुदेश के साथ की कि भारत सरकार और अधिक निधियॉ प्रदान नही करेगी और ₹ 8.04 करोड़ की कुल अनुमानित परियोजना लागत में से बकाया ₹ 1.75 करोड़ कम्पनी द्वारा दिए जाएँगे। लागत में वृद्धि, यदि कोई हो तो, वह भी कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी। संस्वीकृति पत्र में भी विनिर्दिष्ट था कि संस्वीकृत राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2010 तक प्रस्तुत किया जाएगा और कार्यान्वयन एजेंसी के साथ करार में एक जुर्माना खंड होगा ताकि परियोजना में विलम्ब न हो।

उपरोक्त दो यूनिटों के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी के आयात के समय कम्पनी ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत तीन प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क का लाभ लिया (नवम्बर 2008) और इस प्रकार ₹ 1.21 करोड़ की बचत की। निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अनुसार कम्पनी आठ वर्षों के अन्दर निर्यात उत्पादों का आठ गुना मूल्य देने की दायी होगी, जिसकी विफलता में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा ₹ 3.77 करोड़ का ईपीसीजी बांड जब्त कर लिया जाएगा।

कम्पनी ने इस आश्वासन के साथ कि परियोजना लगभग पूरी हो गई, कि सिविल और मैकेनिकल कार्य पूरे हो गए और कि दोनों यूनिटों की अन्तिम जांच और संस्थपना प्रगति

पर थीं मंत्रालय को ₹ 6.29 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया (मार्च 2010)। आगे यह उल्लेख किया गया था कि तब तक (मार्च 2010) किया गया कुल व्यय ₹ 7.23 करोड़ था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने दो यूनिटों के संस्थापन पर ₹ 0.30 करोड़ का व्यय किया। कम्पनी ने संविदात्मक बाध्यताओ का पूरा न करने के लिए उपकरण आपूतिकर्त्ता (मै. स्टीम लैब्, जर्मनी) की बैंक गारंटी (59000 यूरों ₹ 0.40 करोड़ के बराबर) जब्त कर लिए। इस प्रकार किया गया कुल व्यय ₹ 7.13 करोड़ था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि परियोजना में दो युनिटों का संस्थापन (अक्टबूर 2010) किया गया था फिर भी कम्पनी ने उन्हें अपने आप संचालित नही किया क्योंकि वह गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही थी। तदनुसार, कम्पनी ने दो यूनिटों के उपयोग को मै. आरडीएम केयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अर्थात् संस्थापित यूनिटों के गैर संचालन के 18 महीने बाद पट्टे पर दे दिया (मार्च 2012)। तथापि, केवल नौ महीने बाद (जनवरी 2013), निजी फर्म के अनुरोध पर पट्टा करार समाप्त कर दिया गया था। तदन्तर दोनों यूनिटें आठ महीने बाद (सितम्बर 2013) मै. ए-टेक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को पट्टे पर दे दी गई थी।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2014) जैसा प्रत्याशित था दोनो यूनिटों का संचालन वैसा नही हुआ और नतो कम्पनी द्वारा और न ही पट्टेदारों के माध्यम से कोई निर्यात हुआ था। कोई व्यवसायिक उत्पादन नहीं किया गया था। तथापि, स्टीम स्टेरलाइज़ेशन यूनिट के परिचालन के लिए प्रयास किए जा रहे थे। मंत्रालय ने कम्पनी के विचारों का समर्थन किया (जनवरी 2015)।

कम्पनी/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिगत देखने की आवश्यकता है कि दोनों यूनिटो की स्थापना के समय बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त नही किया गया जिससे मसालों के प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य विफल हो गया। इस प्रकार संस्थापन के 48 महीनों के बीत जाने के बाद भी स्वयं या पट्टेदार के माध्यम से स्पाइसस पार्क की दो यूनिटों के संचालन के अभिप्रेत उद्देश्यों मे कम्पनी की असमर्थता के परिणास्वरूप सितम्बर 2014 में ₹ 7.13 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 6.29 करोड़ सहित) का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, आगे यह भी संभावना है कि यदि कम्पनी ईपीसीजी योजना के प्रावधानों के अनुपालन में दोनों यूनिटों से निर्यात का पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करने में विफल होता है तो सीमाशुल्क अधिकारियों के पास जमा ₹ 3.77 करोड़ के ईपीसीजी बांड जब्त किए जा सकते हैं।